महत्वपूर्ण एवं खास

जैविक किसान मेला एंड टेक फेस्ट महोत्सव का आयोजन 18 को

मिलेट्स के व्यंजनों के साथ विभिन्न विभागों के लगेंगे स्टॉल

रायगढ़। धरमजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया के मुख्य आतिथ्य में जिला प्रशासन एवं समस्त विभागों के सहयोग से जैविक किसान मेला एंड टेक फेस्ट महोत्सव का आयोजन 18 मार्च शनिवार को धरमजयगढ़ के मंगल भवन के पास दशहरा मैदान में प्रात:10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जायेंगे। जिसमें मिलेट्स के व्यंजन, मिलेट्स कैफे विथ हेल्थी लाइफ स्टाइल, महिला समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पाद प्रदर्शनी एवं बज क्विट प्रमुख आकर्षण रहेगा। इस दौरान जन समावेशी योजनाओं पर चर्चा एवं जानकारियां, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेन्चर, शैक्षणिक इनोवेटिव स्लॉट्स-इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, बीआईओएस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मेला, स्टार्टअप डिस्कशनस एवं प्राइवेट सेक्टर्स विथ एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी दी जाएगी।

रोजगार मेला का आयोजन 25 मार्च को

रायगढ़। निजी क्षेत्र की रिक्तियों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 25 मार्च 2023 को प्रात:10 बजे से तमनार में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिले में स्थापित विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों तथा विभिन्न संस्थानों से तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद हेतु लगभग 1100 की रिक्तियां प्राप्त हो चुकी है। इसमें औद्योगिक ईकाईयों की अप्रेंटिसशिप योजना की रिक्तियां भी शामिल है। रिक्तियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की संभावना है। प्रस्तावित रोजगार मेला का आयोजन स्थल में ही विभिन्न रिक्तियों तथा अप्रेंटिसशिप योजना के लिए आवेदकों के चयन की कार्यवाही की जाएगी। योग्यताधारी आवेदक समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होकर रोजगार मेला में भाग ले सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

10 वीं बोर्ड की व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा संपन्न : 1 हजार 98 में से 36 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे

रायगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा-2023 कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा के तहत 15 मार्च को व्यावसायिक पाठ्यक्रम विषय की परीक्षा संपन्न हुई। जिसमें 1098 परीक्षार्थी संख्या दर्ज की गई थी। जिसमें से 1062 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाई। 36 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिले में कहीं भी नकल प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।

महात्मा गांधी कॉलेज खरसिया में महिला सेल का जागरूकता कार्यक्रम

रायगढ़। अभिव्यक्ति जागरूकता कार्यक्रम के क्रम में आज महिला सेल की टीम डीएसपी निकिता तिवारी के नेतृत्व में खरसिया के महात्मा गांधी कॉलेज जाकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज की छात्राओं को अभिव्यक्ति ऐप के संबंध में जानकारी देकर बताया गया कि महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, छेड-छाड़, प्रताड़ना एवं अन्य आपात स्थिति में किस प्रकार इस ऐप से सहायता प्राप्त कर सकते है और अपनी शिकायतें पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। महिला सेल के स्टाफ द्वारा कार्यक्रम में मौजूद छात्राओं के मोबाइल पर अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराए और उन्हें उनके परिचितों को भी "अभिव्यक्ति ऐप" के बारे में बताकर उनके भी मोबाइल पर अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराने कहा गया। छात्राओं को पुलिस सहायता के लिये हेल्पलाइन नंबर डायल 112, थाना प्रभारी खरसिया 9479193213, पुलिस कंट्रोल रूम – 9479193299 के नंबर की जानकारी दी गई।

कलेक्टर ने किया विभिन्न स्कूलों एवं छात्रावास का निरीक्षण बालक छात्रावास के मरम्मत एवं रंग-रोगन के दिए निर्देश

- वेद ने सुनाया पहाड़ा, कलेक्टर ने खुश होकर गिफ्ट में दिया अपना पेन
- यूथ सेंटर में वोकेशनल कोर्स के साथ प्रतियोगिता परीक्षा की करायें तैयारी
- लाईवलीहुड कालेज में बेहतर कोर्स के साथ संचालन हेतु बनाये कार्ययोजना

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा आज घरघोड़ा विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों के दौरे पर रहे। जिसके तहत आज वे घरघोड़ा के यूथ सेंटर का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से चर्चा की। कलेक्टर सिन्हा ने यूथ सेंटर को बेहतर रूप से डेवलप करने एवं 15 जून तक अवकाश के दरम्यिान स्पेशल क्लास संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वोकेशनल कोर्स के साथ व्यापम, स्पोकन, जेईई, नीट जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं के तैयारी हेतु शिक्षक व्यवस्था के निर्देश दिए। जिससे विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस दौरान वे प्राथमिक स्कूल पहुंचे, यहां उन्होंने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ रहे बच्चों से चर्चा की। उन्होंने पांचवी क्लास के छात्र वेद कुमार यादव से 14 का पहाड़ा पढने को कहा, जिस पर वेद ने पहाड़ा सुनाया, कलेक्टर सिन्हा खुश होकर छात्र देव को अपना पेन गिफ्ट किया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर सिन्हा घरघोड़ा स्थित आदिवासी बालक एवं बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया। वहां उपस्थित वार्डन ने बताया कि नवनिर्मित बालिका छात्रावास पोस्ट मैट्रिक छात्रावास है, जो आगामी जून से प्रारंभ हो जायेगी। वर्तमान में हॉस्टल प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास में संचालित हो रही है। जिसके पश्चात कलेक्टर सिन्हा बालक छात्रावास पहुंचे एवं बच्चों से चर्चा की। उन्होंने वर्तमान में बच्चों के संख्या की जानकारी ली, हॉस्टल वार्डन द्वारा बताया गया कि उक्त बालक छात्रावास में कुल 145 बच्चे हैं। इस दौरान कलेक्टर सिन्हा ने नवनिर्मित अतिरिक्त कक्ष में बच्चों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही छात्रावास के कक्ष में पर्याप्त लाइट की व्यवस्था एवं आवश्यकतानुसार कमरों के मरम्मत व रंगरोगन के कार्य करने के निर्देश दिए, जिससे छात्रावास बेहतर व आकर्षक हो सके। इसी क्रम में उन्होंने घरघोड़ा स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आकर्षक लाईब्रेरी, क्लासरूम एवं लैब की उचित व्यवस्था देखकर सराहना की। कलेक्टर सिन्हा आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्राथमिक शाला चुहकीमार भी पहुंचे। जहां छोटे बच्चों ने कलेक्टर सिन्हा का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी में दिए जा रहे भोजन का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता बेहतर हैं। जिसके पश्चात वे प्राथमिक शाला पहुंचे तथा शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी ली।

लाईवलीहुड कालेज में बेहतर कोर्स के साथ संचालन हेतु बनाये कार्ययोजना

कलेक्टर सिन्हा ने आज पूंजीपथरा स्थित ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज का विजिट किया, यहां उन्होंने दिए जा रहे रीटेल ट्रेनी, ब्यूटी थेरिस्ट जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग विजिट कर मैकेनिकल वर्कशॉप का अवलोकन किया। उन्होंने मैनेजमेंट, आवश्यक उपकरण एवं संसाधन की जानकारी ली। उन्होंने लाइवलीहुड कॉलेज को बेहतर बनाने जिला पंचायत सीईओ एवं रोजगार अधिकारी को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। जिससे लाइवलीवुड कॉलेज में बेहतर संसाधनों के साथ मार्केट अनुरूप स्किल डेवलपमेंट के कोर्स संचालित किया जा सके।

ऑनलाइन फ्रॉड : व्यवसायी को फूड कंपनी का फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 2.26 लाख रूपए की धोखाधड़ी

रायगढ़। थाना चक्रधरनगर में शहीद चौंक में रहने वाले अंकित पटेल (27 साल) के द्वारा आवेदन देकर 2 लाख 26 हजार रूपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

पीड़ित ने बताया कि मुकुट नगर, चक्रधरनगर में इनकी बेकरी की दुकान है। इसने नेट पर वाओ मामोज नामक फूड कंपनी का फ्रेन्चायजी रायगढ़ में खोलने के लिए माह दिसंबर 2022 को कंपनी के वेबसाइट पर दिये गये नंबर 0903831XXXX पर संपर्क किया जिसमें बताया गया कि रजिस्ट्रेशन फीस , जीएसटी सहित 41,300 / रूपये होता है। साथ ही एनओसी के लिए 1,85,000 /- जमा करने के बाद एग्रीमेंट फीस 1,75,000 / - तथा सिक्यूरिटी मनी 3,25,000 /- लायसेस फीस 73,700 /- *कुल 8,00,000 /- रूपये जमा करना होगा। कंपनी की ओर से दिनांक 07/12/2022 इसके ईमेल पर एक मेल प्राप्त हुआ। तब पुन: कंपनी के उसी मोबाइल नंबर पर बात करने के बाद ईमेल पर प्राप्त स्क्रेनर में ऑनलाइन 41,300 /- रूपये फोन पे के माध्यम से जमा किया गया। रूपये जमा करने के बाद कॉल कर बताया गया कि रजिस्ट्रेशन हो गया है जमा राशि का रसीद ईमेल में भेजा गया। उसके बाद एनओसी फीस 1,85,000 / - रूपये की मांग पर फोन पे के माध्यम से दिनांक 14/12/2022 को रूपये जमा किया गया। इस प्रकार *कुल 2,26,300 /- रूपये उनके खातों में जमा किया। राशि जमा करने के बाद एग्रीमेंट की राशि जमा करने के लिये बार-बार कॉल किया जा रहा था पर दुकान फायनल नहीं होने से राशि जमा नहीं किया गया था। तभी वेबसाइट में जो मोबाइल नंबर 0903831XXXX था बदल कर नया नंबर दिखा रहा था। तब शंका होने पर कंपनी के आउटलेट के नंबर पर संपर्क करने पर वहां के स्टाफ ने बताया कि उक्त कंपनी स्वयं संचालन करती है और फ्रेंचायजी नहीं देती है। ऐसी स्थित में स्पष्ट हो गया कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन 2,26,300 /- रूपये की ठगी की गई है। थाना चक्रधरनगर में पीड़ित के आवेदन पर मामोज नामक फ्रूड कंपनी फ्रेन्चाईजी के खाता धारक के मोबाइल नंबर 0903831XXXX के विरूध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

बहुचर्चित सहारा इंडिया मामले का 6,000 से अधिक पन्नों का कोतवाली पुलिस ने किया चालान पेश

- जांच दौरान सहारा इंडिया में लगभग 3060 निवेशकों के 33,43,16,084 रू. निवेश की मिली है जानकारी

रायगढ़। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा बहुचर्चित सहारा इंडिया धोखाधड़ी मामले में 6,000 से अधिक पन्नों का चालान माननीय विशेष न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया है। मामले के विवेचना अधिकारी थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे बताये कि सहारा इंडिया के स्थानीय शाखा प्रबंधक एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध प्रार्थी विकास निगानिया निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी रायगढ़ के आवेदन पर 29 सितंबर को थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 1363/2022 धारा 420 , 120 बी , 34 ताहि, धारा 6,10 छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम, धारा 4,5,6 ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

मामले की विवेचना दौरान साक्ष्य संकलन कर सहारा इंडिया कबीर चौक शाखा प्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा को 16 जनवरी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। पीड़ित विकास निगानिया ने आरोपी ओम प्रकाश शर्मा द्वारा सहारा इंडिया की विश्वसनीयता एवं निवेश प्रोग्राम के संबंध में विज्ञापन दिखाकर 40 लाख रुपए निवेश कराकर कुल 182 बॉन्ड पेपर जारी किया और प्रतिमाह रु.40,000 ब्याज के रूप में देने का अनुबंध किया और उसके मूलधन 40 लाख को कभी भी जरूरत पड़ने पर देने का वादा किया था पर मार्च 2022 तक केवल रु.40,000 ही लौटाया। उसके बाद टालमटोल कर रकम नहीं लौट आया था। जांच क्रम में कोतवाली पुलिस ने खरसिया शाखा प्रबंधक पुष्पेंद्र साहू को 22 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के द्वारा स्वयं मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, उपनिरीक्षक जीपी बंजारे, सहायक उपनिरीक्षक दिलीप कुमार बेहरा, प्रधान आरक्षक नंद कुमार सारथी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया है। जांच टीम द्वारा जिले में सहारा इंडिया को लेकर कलेक्ट्रेट रायगढ़ व पुलिस अधीक्षक कार्यालय सरगुजा से प्राप्त लगभग 3,060 शिकायतें बॉन्ड पेपर व अन्य संबंधित दस्तावेज संकलन कर जब्ती की गई है जिसके अनुसार निवेशकों का 33 करोड़ 45 लाख 16 हजार 84 रूपये सहारा इंडिया पर निवेश है। गिरफ्तार आरोपियों की समयावधि में चालान पेश किए जाने को लेकर आज कोतवाली पुलिस द्वारा विशेष न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय में 6,000 से अधिक पन्नों का चालान पेश किया गया है। मामले की जांच में कई अन्य आरोपियों की संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं जिन पर धारा 173(8) CrPC के तहत चालान पेश किया गया है। फरार आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये सीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में जांच टीम आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।

क्षणिक आवेश में पत्नी की डंडे से पीटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। थाना घरघोड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कया में रहने वाले कमलसाय किस्पोट्टा (52 साल) द्वारा 13 मार्च की रात उसकी पत्नी तीजोबाई को खाना नहीं बनाने को लेकर हुए विवाद में हाथ मुक्का, डंडा से मारपीट कर उसकी हत्या कर दिया। घटना के बाद से फरार आरोपी को आज घरघोड़ा पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

कल ग्राम कया के डोंगरीपारा में मृतिका की तीजोबाई पति कमलसाय किस्पोट्टा उम्र 50 वर्ष का शव संदेहास्पद स्थिति में उसके घर पर मिला था। महिला की संदेहास्पद मौत की सूचना थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह को प्राप्त होने पर उन्होंने थाने के उपनिरीक्षक एडमोन खेस, सहायक उपनिरीक्षक विल्फ्रेड मसीह को हमराह स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर रवाना होने का निर्देश दिए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया जिनके मार्गदर्शन पर जांच टीम द्वारा शव पंचानामा कार्यवाही बाद शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमें मृत्यु का कारण "होमीसाइडल इन नेचर" लेख किया गया था। घटना को लेकर मृतिका के वारिसानों, आसपड़ोस के लोगों से पूछताछ किया गया जिसमें मृतिका और उसके परिवारजनों का किसी से कोई झगड़ा विवाद की जानकारी नहीं मिली। घटना के बाद से फरार मृतिका के पति कमलसाय पर उसकी पत्नी की हत्या कर फरार होने का संदेह पुलिस टीम को था। एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर घरघोड़ा पुलिस की अलग-अलग टीमें संदेही कमलसाय किस्पोटा की पतासाजी में जुट गई जिसे आज दोपहर कया जंगल से हिरासत में लेकर थाने लाया गया। पूछताछ में कमलसाय ने घटना कारित करना कबूल कर अपराध को छिपाने के उद्देश्य से डंडा को घर के पीछे झाडियों में छिपाकर भाग जाना बताया। घटना के संबंध में आरोपी कमलसाय बताया कि दिनांक 13.03.2023 के सुबह गांव में ही मजदूरी करने गया था। मजदूरी करके रात्रि करीबन 07.00 बजे वापस आया तो पत्नी तीजोबाई सो रही थी, खाना नहीं बनाई थी। तब गुस्से में तीजोबाई को हाथ से थप्पड़ और घर में पड़े लकडी के डंडा से सिर, चेहरा में मारपीट किया। उसी समय लडका गोपाल घर पहुंचा और बीच बचाव किया। मारपीट करने से तीजोबाई बेहोश हो गई जिसे कमरा अंदर रखे चारपाई में लेटा दिया और जमीन में सो गया। दूसरे दिन सुबह उठकर पत्नी तीजोबाई को हिला-डुलाकर उठाया तो वो नहीं उठी, मर चुकी थी, जिससे पकड़े जाने के भय से मारपीट करने में प्रयुक्त लकडी के डंडा को सबूत मिटाने के इरादे से घर के पीछे तरफ झाड़ियों में छिपा कर घर के पीछे जंगल में जाकर छिप गया था। आरोपी के मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा जप्त कर आरोपी कमलसाय किस्पोट्टा पिता जगत किस्पोट्टा उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम कया थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार व एडिशनल एसपी संजय महादेवा के दिशा निर्देशन तथा एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी में थाना घरघोड़ा के उप निरीक्षक एडमोन खेस, सहायक उप निरीक्षक विल्फ्रेड मसीह, राजेश मिश्रा, प्रधान आरक्षक उदयसिंह सिदार, आरक्षक उधो पटेल, बीरबल भगत, आशिक पन्ना की अहम भूमिका रही है।

घर घुसकर महिला से छेड़खानी, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 14.03.2023 को थाना घरघोड़ा में स्थानीय महिला रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 12.03.2023 के दोपहर अपने बच्चों के साथ घर पर थी। उसी समय गांव का जगदीश यादव घर में अकेली पाकर घर घुस गया और अभद्र एवं अश्लील हरकत करने लगा जिसे मना करने पर जगदीश यादव हाथ एवं बांह को पकड कर खींचा जिसका विरोध कर शोर मचाने पर आसपास के लोग आये और जगदीश यादव को लेकर गये। यदि कोई नहीं आता तो जगदीश यादव निश्चित ही गलत काम कर सकता था। पीडिता की रिपोर्ट पर जगदीश यादव के विरूद्ध अपराध क्र. 107/2023 धारा 452,354 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया। अपराध कायमी पश्चात विवेचना क्रम में तत्काल पीडिता, गवाहों का कथन लेकर आरोपी की पतासाजी के लिये घरघोड़ा पुलिस दबिश दिया गया और आरोपी जगदीश यादव (उम्र 19 वर्ष) को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। आरोपी ने पूछताछ में दिनांक घटना को अपराध घटित करना स्वीकार किया जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

रीपा योजना अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों को 20 मार्च तक करें पूर्ण -कलेक्टर डॉ.सिद्दीकी

- नवनिर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों में गोबर पेंट का करें इस्तेमाल
- आगामी निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों के जिले के सभी मतदान केन्द्रों का फील्ड वेरिफिकेशन करने के दिए निर्देश
- अवैध निर्माण पर करें कार्यवाही
- कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने ली समय-सीमा की बैठक

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दीकी ने आज जिले के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने सर्वप्रथम पेयजल की समस्या को लेकर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का जिक्र करते हुए पेयजल संबंधी मामलों के निराकरण हेतु सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को सूचित किया। विभाग के अधिकारी ने बताया कि समस्या के निराकरण हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, साथ ही आगामी गर्मी मौसम को ध्यान में रखते हुए समुचित व्यवस्था की गई है। रीपा योजना अंतर्गत कार्यो की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने उपस्थित सभी सीईओ को जिले के सभी गौठानों में निर्माणाधीन कार्यो को 20 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए, साथ ही कलेक्टर ने आगामी 25 मार्च को रीपा योजना के कार्यो के उद्घाटन के संबंध में सभी को अवगत कराया और सभी गौठानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडने हेतु निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जिले में चल रहे सभी भवन निर्माण या स्कूलों में चल रहे मरम्मत कार्य के पश्चात दीवारों में पोताई के दौरान अनिवार्य रूप से गोबर पेंट का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर डॉ.सिद्दीकी ने आगामी निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को जिले के सभी मतदान केंद्रों का फील्ड वेरिफिकेशन करने को कहा, साथ ही नाम एवं स्थान संबंधी त्रुटियों, विसंगतियों की जांच कर सूचित करने के निर्देश दिए। वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी हितग्राहियों की सूची तैयार करने को कहा। इसके पश्चात कलेक्टर ने जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों में लंबित आवेदनों के निराकरण करने के निर्देश दिए। धान संबंधी कार्यो की समीक्षा करते हुए चावल के भंडारण की स्थिति के बारे में जानकारी ली, साथ ही उपलब्ध खाद जिनमें यूरिया, पोटाश सुपर फास्फेट आदि हैं उसके स्टॉक की जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए। खाद्य विभाग के अधिकारी ने नए बारदानों की कमी के बारे में अवगत कराया। कलेक्टर डॉ.सिद्दीकी ने जिले में चल रहे आयुष्मान कार्ड संबंधी कार्यो की समीक्षा करते हुए सभी सीईओ से आधार कार्ड बनाने हेतु कैंप लगाने के संबंध में जानकारी ली,आधार अपडेशन की वस्तुस्थिति के बारे में संबंधित अधिकारी ने जानकारी दी, इसके अलावा आयुष्मान कार्ड के डाटा संबंधी अपडेट को विभाग के अधिकारी ने कलेक्टर के समक्ष साझा किया। धन्वतरी मेडिकल स्टोर योजना अंतर्गत विक्रय के आंकड़ों पर नाराजगी जताते हुए उस पर काम करने को कहा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी कार्यो की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। राजस्व संबंधी मामलों के कार्यो की समीक्षा करते हुए नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन आधार प्रविष्टि, अभिलेख शुद्धता संबंधी लंबित आवेदनों के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देश दिए। इसके साथ ही वर्मी खाद एवं गोमूत्र की खरीदी, स्वावलंबी गौठान, जियोटैगिंग की स्थिति, गौठान निर्माण की स्थिति के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने उपस्थित सभी सीएमओ को अवैध निर्माण के नियमितिकरण हेतु शीघ्रता से कार्य करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर डॉ.सिद्दीकी ने वन अधिकार पत्र, कन्या विवाह, मनरेगा भुगतान संबंधी समस्या, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वन अधिकार पत्र, कृष्ण कुंज, राजीव युवा मितान क्लब, पैरादान, आत्मानंद स्कूलों में चयन प्रक्रिया, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, लघु वनोपज संग्रहण, सेजेस भर्ती, देवगुड़ी निर्माण, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जैविक खाद्य भंडारण, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, राजीव गाँधी भूमिहीन किसान योजना सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उक्त बैठक में अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी, संयुक्त कलेक्टर भागवत जायसवाल एवं सारंगढ़ एसडीएम मोनिका वर्मा एवं बिलाईगढ़ एसडीएम डॉ.स्निग्धा तिवारी साथ ही अन्य विभागों के विभाग प्रमुख उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम संबंधी बैठक सम्पन्न- जिले के सभाकक्ष में आज कलेक्टर डॉ.सिद्दीकी के निर्देशन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत बैठक आयोजित हुई। उक्त बैठक में कोटपा एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एफ.आर निराला ने दी। डॉ.निराला ने बताया कि धुआं और धुआंरहित उत्पादों में धुआंरहित तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वालों की संख्या बढ़ी है। प्राप्त वर्तमान आंकड़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि औसत 3.7 साल के बच्चे चबाने वाले तंबाकू उत्पादों का सेवन प्रारंभ करने लगे हैं जो कि चिंता का विषय है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480